राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2574/2016

बजरंग लाल शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नैहरू मार्ग, जयपुर।
3. सुरेन्द्र कुमार शर्मा अध्यापक द्वितीय श्रेणी, अंग्रेजी, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, पीलोद, झुन्झुनूं।
4. शोभाग सिंह वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, चिड़ावा, झुन्झुनूं।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.09.2016
आदेश की दिनांक : 25.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेश चन्द गुप्ता, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री वासुदेव शर्मा, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 18.02.1991 को अध्यापक संस्कृत ग्रेड तृतीय के पद पर हुई तथा अपीलार्थी वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत पदमपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं में तृतीय श्रेणी अध्यापक संस्कृत के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी की योग्यता नियुक्ति के समय उपाध्याय एवं एस.टी.सी. थी। उसके पश्चात अपीलार्थी ने संस्कृत विभाग से अनुमति लेकन 1997 में शास्त्री परीक्षा संस्कृत साहित्य, संस्कृत वागमय व अंग्रेजी विषय में पास की एवं बी. एड. करने के लिए विभाग से दिनांक 18.05.2011 (अनुलग्नक–1) द्वारा अनुमति ली गई। उसके पश्चात अपीलार्थी ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली से 2012 में बी.एड. की डिग्री प्राप्त की है (अनुलग्नक–2)। उसके पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 16.04.2013 प्रत्यर्थी संख्या 2 को बी.एड. संस्कृत की योग्यता को सेवाभिलेख में इन्द्राज करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। किन्तु विभाग ने अपीलार्थी की योग्यता एक वर्ष पश्चात दिनांक 19.06.2014 को सेवाभिलेख में अंकित किया, जबकि अपीलार्थी ने दिनांक 16.04.2013 (अनुलग्नक–3) द्वारा बी.एड. की मूल अंक तालिका एवं प्रोविजनल सर्टिफिकेट एवं विभागीय स्वीकृति आदेश की

प्रतिलिपि सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु विभाग ने समय पर बी.एड. संस्कृत की योग्यता का अंकन अपीलार्थी के सेवाभिलेख में नहीं किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 19.06.2014 (अनुलग्नक–4) द्वारा बी.एड. की योग्यता को सेवा पुस्तिका में अंकन करने का आदेश जारी किया। इसके पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 10.08.2015 (अनुलग्नक–5) द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत करने हेतु डी.पी.सी. वर्ष 2013–14 में अपीलार्थी का नाम जोड़ा जावे परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने आज दिनांक तक अपीलार्थी का नाम डी.पी.सी. की सूची वर्ष 2013–14 में शामिल नहीं किया। संस्कृत शिक्षा विभाग ने दिनांक 01.04. 2014 (अनुलग्नक–6) द्वारा अध्यापक तृतीय श्रेणी की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 525 पर एवं वरिष्ठता क्रमांक 3530 पर नाम दर्ज है एवं प्रत्यर्थी संख्या–4 शोभाग सिंह का नाम क्रम संख्या 739 पर एवं वरिष्ठता क्रमांक 4323 पर दर्ज है। निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के स्वीकृत पद 2851 है, कार्यरत पद 1572 है एवं रिक्त पद 1279 है (अनुलग्नक–6ए)। निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा आदेश दिनांक 01.07.2016 (अनुलग्नक–7) द्वारा राजस्थान संस्कृत सेवा अधिनियम 1978 संशोधन नियम 2013 के नियम 24 (10) के अन्तर्गत गठित पदोन्नती समिति द्वारा चयनोपरान्त तृतीय श्रेणी अध्यापक/ प्रयोगशाला सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति वर्ष एवं विषय के लिए अध्यापक द्वितीय श्रेणी शिक्षक/वरिष्ठ अध्यापक के पद पर वेतन श्रृंखला 9300–34800 (पीबी.2–3600ध्4200 ग्रेड वेतन) में कार्यारम्भ तिथि से पदोन्नत कर उनके सम्मुख अंकित संस्था में पदस्थापित किया गया। उक्त आदेश के तहत अपीलार्थी से कनिष्ठ प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 की पदोन्नती वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर वर्ष 2013–14 के विरूद्व कर दी गई है। जबकि अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 से वरिष्ठ है। उसके बावजूद भी अपीलार्थी की पदोन्नती वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर नहीं की गई है। प्रत्यर्थी संख्या 4 ने दिनांक 22.07.2016 (अनुलग्नक–8) द्वारा राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय चिड़ावा जिला झुन्झूनू में वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर कार्यारम्भ कर लिया। अपीलार्थी पदोन्नती के लिए योग्य है एवं वरिष्ठ है, अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित नहीं है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियो की जिस दिन से जिस वर्ष में पदोन्नती की गई है, उसी दिन से एवं उसी वर्ष में अपीलार्थी की पदोन्नती वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर किये जाने के आदेश फरमावे एवं पदोन्नति के सम्पूर्ण लाभ व एरियर मय ब्याज दिलवाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी श्री बजरंगलाल शर्मा–अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, पदमपुरा तहसील चिडावा जिला झुन्झनूं ने दिनांक 16.04.2013 के द्वारा बी.एड. योग्यता सेवा पुस्तिका में अंकन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कि विभाग को दिनांक 03.06.2013 को प्राप्त हुआ। राज्य से बाहर की डिग्री होने के कारण नियमानुसार सत्यापन होने की उपरान्त ही सेवा पुस्तिका में योग्यता अंकन की स्वीकृति जारी की जाती है। विभागीय दिनांक 16.09.2013 के द्वारा कुलसचिव इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को बी.एड. परीक्षा की डिग्री सत्यापन करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखा गया। बी.एड. परीक्षा डिग्री का सत्यापन होकर नही आने के कारण विभागीय दिनांक 03.03.2014 के द्वारा पुनः स्मरण पत्र जारी किया गया। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03.05.2014 के द्वारा डिग्री का सत्यापन किया गया जो कि दिनांक 06.06.2014 को विभाग को प्राप्त हुआ। विभागीय दिनांक 19.06.2014 के द्वारा अपीलार्थी श्री बजरंग लाल शर्मा, अध्यापक तृतीय श्रेणी की बी.एड. योग्यता का अंकन करने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की गई। नियमानुसार दिनांक 01.04.2015 की जारी वरिष्ठता सूची में योग्यता का अंकन कर दिया गया है। नियमानुसार योग्यता व वरिष्ठता के आधार पर तृतीय श्रेणी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति की गई है। अपीलार्थी की वर्ष 2013–2014 की वरिष्ठता सूची में बी. एड. योग्यता का अंकन नही होने के कारण पदोन्नति दिया जाना सम्भव नही है। अपीलार्थी द्वारा लिखी गई पदों की संख्या विभिन्न विषयों एवं सीधी भर्ती एवं पदोन्नति अंश के है। संबंधित विषय में उस रिक्ति वर्ष में पदोन्नति अंश के रिक्त पदों पर ही पदोन्नति की जाती है। अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2013–2014 में बी.एड. योग्यता का नियमानुसार अंकन नही होने के कारण पदोन्नति के योग्य नही माना गया है। नियमानुसार योग्यता का अंकन होने की तिथि से ही संबंधित योग्यता का लाभ दिया जाता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 की डीपीसी में उसके नाम पर विचार किए जाने और उससे कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नत किए जाने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करने एवं समस्त परिलाभ मय एरियर प्रदान किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने विभागीय अनुमति प्राप्त कर इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से बी.एड. की योग्यता प्राप्त की और

उसे इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा बी.एड. की डिग्री 4, फरवरी 2013 को जारी की गई। तत्पश्चात अपीलार्थी ने उक्त डिग्री का सेवाभिलेख में इन्द्राज करने के लिए प्रत्यर्थी विभाग को उचित माध्यम से दिनांक 16.04.2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 19.06. 2014 को अपीलार्थी के सेवाभिलेख में बीएड के डिग्री का अंकन किया गया। अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर आयोजित पदोन्नति वर्ष 2013–14 में इस आधार पर वंचित किया गया कि उसकी डिग्री का इन्द्राज करने से पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय का सत्यापन किया गया और आदेश दिनांक 19.06.2014 द्वारा अपीलार्थी के सेवाभिलेख में बीएड योग्यता का इन्द्राज किया। इस प्रकार दिनांक 01. 04.2013 को जारी वरिष्ठता सूची में बीएड योग्यता अंकित नहीं होने से अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति नहीं देने का कथन किया एवं सेवाभिलेख में इन्द्राज के पश्चात दिनांक 01.04.2014 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची में योग्यता का अंकन कर दिया गया।

पत्रावली के उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा विभागीय अनुमति लेकर बीएड योग्यता अर्जित की, जिसकी सूचना प्रत्यर्थी विभाग को समय पर दे दी गई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध डीपीसी पर पदोन्नति आदेश दिनांक 01.07.2016 को जारी किए गए है, जिससे स्पष्ट है कि पदोन्नति की कार्यवाही से पूर्व अपीलार्थी की डिग्री की योग्यता का अंकन उसके सेवाभिलेख में किया जा चुका था और बीएड की उक्त डिग्री दिनांक 01.04. 2013 से पूर्व प्राप्त की जा चुकी थी। अतः हम यह पाते है कि अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति पर विचार किया जाना उचित होगा। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2013–14 में वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) की पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किए जाने हेतु रिव्यू डीपीसी आयोजित की जाकर अन्यथा पात्र पाये जाने पर पदोन्नति प्रदान की जाकर उससे कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति और परिलाभ दिए जाने की तिथि से अपीलार्थी को समस्त परिलाभ प्रदान किए जावे। उक्त कार्यवाही तीन माह में सम्पादित करने के निर्देश प्रत्यर्थी विभाग को दिए जाते है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)